

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सुधार समाज

बनाम

महावीर

मुकदमा : वाद

नं०

67 सन् 2016

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>राजस्त मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन होने से व माननीय न्यायालय हाइकोर्ट जोधपुर से स्थगन होने से कार्यवाही पेछिठ रखी जाती है। पत्रावली वास्ते वदन्तजार आदेश माननीय राजस्त मण्डल अजमेर व माननीय न्यायालय हाइकोर्ट जोधपुर दिनांक 01/10/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>	
<p>01/10/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकाराने उपस्थित। उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली में माननीय राजस्त मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन होने व माननीय न्यायालय हाइकोर्ट जोधपुर से स्थगन होने से कार्यवाही पेछिठ रखी जाती है। पत्रावली वास्ते वदन्तजार आदेश माननीय राजस्त मण्डल अजमेर व माननीय न्यायालय हाइकोर्ट जोधपुर दिनांक 15/10/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>	
<p>15/10/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई... अक्रिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/10/24 को पेश की जावे।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>	
<p>29/10/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई... अक्रिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/11/24 को पेश की जावे।</p> <p style="text-align: right;">S.D.O.</p>	
<p>26/11/2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा माननीय राजस्त मण्डल अजमेर में कार्यवाही विचाराधीन होने से व माननीय</p>	

नुनवान: सुधार समाज बनाम महावीर

उ.से. 67/16

थारा : 188 रा.रि.ए.र

न्यायालय हाईकोर्ट जोधपुर से स्थगन होने से वाद-
पत्र को इसी स्तर पर खारिज करने का निर्देश
किया। वकील उभय पक्ष द्वारा इस वादत बहस
शुनाई गई। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली में
शामिल दस्तावेजों व वाद-पत्र में अंकित तथ्यों का
अवलोकन कर गहनता से मगन किया गया। उक्त
आराजीचात को लेकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
में कार्यवाही विचाराधीन है साथ ही माननीय न्यायालय
हाईकोर्ट जोधपुर से स्थगन जारी हुआ है। अतः
अस धकरण में कार्यवाही जो पीठिंग रखते हुए
माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक पत्रावली
कुसल कुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर
शामिल रहने है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)